

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर
 क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/2131

दिनांक : 17/04/2020


आदेश

श्रीमान शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 4(10)वित्त/आबकारी/2018 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 26.03.2020 की पालना में विभिन्न स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल, वायरस संक्रमण को रोकने के लिये कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं संबंधी कर्मचारियों एवं आमजन इत्यादि को हैण्ड सेनेटाइजर्स उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों को आवंटन किया जाता है-

क्र.सं.	विभाग/कार्यालय का नाम	आवंटित कार्टन संख्या
1	प्रभारी अधिकारी कोरोना स्टोर आ.प्र. सहा. एवं नागरिक सुरक्षा, बाड़मेर	315

उपरोक्त कार्यालयों को सेनेटाइजर्स का वितरण राजस्थान राज्य स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लि. आर. एस.बी.सी.एल. डिपो, सेन्ट्रल स्कूल के सामने, जैसलमेर रोड, बाड़मेर से प्राप्त करेंगे।

डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल, बाड़मेर शेष रिजर्व में रखना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने पर संबंधित विभाग को आवंटित करेंगे।



(विश्राम सीणा)


जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु.,
बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/2132 - 34

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रभारी अधिकारी, स्टोर कोरोना
2. डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल., बाड़मेर
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर



जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु.,
बाड़मेर